पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० — 260/2022

अनवान : —

1. असलम खॉ पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मोहम्मद रफीक पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

:—वादीगण

बनाम

1. याकूब खॉ पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा ।
2. जैतून बानो पत्नी मोती खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. सदीक पुत्र सुभान खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा। **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेश वकील वादी किशनलाल यादव व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाकर रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 23/20 के मु०न० 13 के किला नं० 1, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 17 व 24 कुल 2.011है० नहरी 1.986है० व 0.025है० गै० मु० खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में पक्षकारान का खाता व लगान निम्नानुसार कायम किया जाता है :—

वादीगण असलम खॉ, मोहम्मद रफीक व प्रतिवादी संख्या 1 याकूब खॉ पिसरान लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा सयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार:— रोही मौजा 8 बीएचडी के खाता सं० 23/20 के मु० न० 13 किला न० 1, 9, 10 कुल 1.012है० जिसमें नहरी 0.987है०, गै०मु० खाला 0.025है०, ।

जैतून बानो पत्नी मोती खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार :— रोही मौजा 8 बीएचडी के खाता सं० 23/20 के मु० न० 13 किला न० 11 की 0.240है., किला नं० 12 की 0.253है० कुल 0.493है० नहरी।

सदीक खॉ पुत्र सुभान खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा खातेदार :— रोही मौजा 8 बीएचडी के खाता सं० 23/20 के मु० न० 13 के किला नं० 17 व 24 की कुल 0.506है० नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त [illegible] ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डीकी आज दिनांक 12/07/2023 मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा से [illegible] में जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जि० हनुमानगढ़

संशोधन
(22/8/23)

दिनांक 12/7/23 को जारी उक्त डिक्री में
वादीगण आसलम खाँ, मो० रफिक तथा
प्रतिवादी स० 01 फारुख खाँ के हिस्सा
में वर्णित भूमि के साथ-साथ मु०न० 13
के किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी व
2/2 की 0.025 गै०मु० खाला के साथ-साथ
की कुल योग 1.012 है० जिसमे नहरी
0.987 है० तथा गै०मु० खाला 0.025 है०
पढा जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 260 / 2022

अनवान : —

1. असलम खॉ पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील [illegible] जिला हनुमानगढ।
2. मोहम्मद रफीक पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

:—वादीगण

बनाम

1. याकूब खॉ पुत्र लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा ।
2. जैतून बानो पत्नी मोती खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. सदीक पुत्र सुभान खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री किशनलाल यादव **वादीगण**
श्री सतवीर पूनिया **प्रतिवादीगण**

दिनांकः 12/07/2023

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 23/20 के मु0न0 13 के किला नं0 1, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 17 व 24 कुल 2.011है0 नहरी 1.986है0 व 0.025है0 गै0 मु0 खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सख्या 3 सदीक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 याकूब का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जैतूनबानों का 1/4 हिस्सा, वादी मोहम्मद रफीक का 1/8 हिस्सा व वादी असलम खान का 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने—अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग—अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुस्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को [illegible] है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय [illegible] है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी [illegible] 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामा के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 23/20 के मु0न0 13 के किला नं0 1, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 17 व 24 कुल 2.011है0 नहरी 1.986है0 व 0.025है0 गै0 मु0 खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सख्यां 3 सदीक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 याकूब का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जैतूनबानों का 1/4 हिस्सा, वादी मोहम्मद रफीक का 1/8 हिस्सा व वादी असलम खान का 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

वादीगण असलम खॉ, मोहम्मद रफीक व प्रतिवादी संख्या 1 याकूब खॉ पिसरान लाल खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा सयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदारः– रोही मौजा 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0 न0 13 किला न0 1, 9, 10 कुल 1.012है0 जिसमें नहरी 0.987है0, गै0मु0 खाला 0.025है0,।

जैतून बानो पत्नी मोती खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार :– रोही मौजा 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0 न0 13 किला न0 11 की 0.240है., किला नं0 12 की 0.253है0 कुल 0.493है0 नहरी।

सदीक खॉ पुत्र सुभान खॉ जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा खातेदार :– रोही मौजा 8 बीएचडी के खाता सं0 23/20 के मु0 न0 13 के किला नं0 17 व 24 की कुल 0.506है0 नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी), R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

संशोधन
(22-8-23)

दिनांक 12/7/23 को पारित निर्णय में वादीगण असलम खाँ, मो० रफिक तथा प्रति० सं० 01 याकुब खाँ के हिस्सा में वर्णित भूमि के भाग-भाग मु०न० 13 के किला न० 2/1 की 0.228 है० तथा 2/2 की 0.025 है० गै०खाता इस प्रकार कुल योग 1.012 है० जिसमें 0.987 है० नहरी तथा गै०मु० 0.025 है० गै० मु० खाता पढ़ा जावे

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested